संख्या-25/2025/आई/922909/2025/23-2099(099)/173/2024

प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2025**

विषय:- औद्योगिक लॉजिस्टिक योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड के रैथा अण्डरपास से पी0एम0 मित्र पार्क (टेक्सटाइल पार्क) तक चार लेन निर्माण (लम्बाई **14.280** कि0मी0) तथा आई0आईएम0 लखनऊ से आउटर रिंग रोड रैथा अण्डरपास मार्ग (लम्बाई **8.400** कि0मी0) का दो लेन चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त धनराशि में से रू0 11000.00 लाख डिसैंक्शन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-28/2024/1222/001-23-2099(099)/173/2024, दिनांक 30.09.2024 एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-11138 बी0जी0/7बी0-लॉजिस्टिक पार्क/2024-25, दिनांक 10.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-28/2024/1222/001-23-2099(099)/173/2024, दिनांक 30.09.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष-2024-25 में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1354-औद्योगिक/लाजिस्टिक पार्क हेतु 04 लेन मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण का कार्य-24-वृहत् निर्माण कार्य में स्वीकृत धनराशि रू0 13956.34 लाख (रूपये एक अरब उनतालीस करोड़ छपन लाख चौतीस हजार मात्र) में से वित्तीय वर्ष-2024-25 में धनराशि रू0 11000.00 लाख (रूपये एक अरब दस करोड़ मात्र) को डिसैंक्शन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त के फलस्वरूप मानक मद-24 में स्वीकृत धनराशि रू0 13956.34 लाख के स्थान पर रू0 2956.34 लाख पढ़ा जाय।

4- उक्त डिसैंक्शन की स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि योनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 11000.00 लाख (रूपये एक अरब दस करोड़ मात्र) का आहरण कोषागार से न किया गया हो।

5- उक्त शासनादेश संख्या-28/2024/ 1222/ 001-23-2099 (099)/ 173/ 2024, दिनांक 30.09.2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजना/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।